भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1912
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली उत्पादन की प्रति इकाई लागत

1912. श्री इमरान मसूदः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 से अब तक देश भर में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष-वार कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोयले के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 से देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) संस्थापित क्षमता मार्च 2014 के 2,48,554 मेगावाट से बढ़कर जून 2025 में 4,84,819 मेगावाट हो गई है, जिसमें इस अवधि के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता 1,39,663 मेगावाट से बढ़कर 2,42,040 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) (बड़ी जलविद्युत सहित) की संस्थापित क्षमता 75,519 मेगावाट से बढ़कर 2,33,999 मेगावाट हो गई है।

(ii) 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता के योग से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

(iii) सौर, पवन, पंप भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पन्न विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क में छूट।

(iv) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्ट्री।

(v) हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना।

(vi) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की संस्थापना।

(vii) एटीएंडसी हानियों को वर्ष 2013-14 के 22.62% से घटाकर वर्ष 2023-24 में 16.28% करना। विद्युत उत्पादन कंपनियों (जेनको) के सभी वर्तमान भुगतान अद्यतन हैं और विद्युत उत्पादन कंपनियों का बकाया 1,39,947 करोड़ रुपये से घटकर 18,857 करोड़ रुपये हो गया है।

(viii) वर्ष 2019 में, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की, जैसे कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (**>** 25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना, जल विद्युत शुल्क कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय, बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता। तदुपरांत सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए (क) पूलिंग सब-स्टेशनों के उन्नयन सहित निकटतम पूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन, (ख) रेलवे साइडिंग, (ग) संचार अवसंरचना , और (घ) रोपवे हेतु बजटीय सहायता का दायरा दिनांक 08.10.2024 को विस्तारित किया गया है।

(ix) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति की शुरुआत। इससे ताप विद्युत संयंत्रों को दक्ष घरेलू कोयला आवंटन संभव हुआ और विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनःप्रवर्तन भी सुनिश्चित हुआ।

(x) उत्पादन क्षमता से पहले अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

(ग) : कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की लागत कोयले की कीमत और माल ढुलाई की लागत पर निर्भर करती है, और मिश्रण के मामले में मिश्रित आयातित कोयले की कीमत पर भी निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मांग-आपूर्ति परिदृश्य के साथ बदलती रहती है। इसके अलावा, प्रत्येक उत्पादन कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आयातित कोयले का उपभोग करती है।

घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों को घरेलू कोयले की निरंतर आपूर्ति के साथ, आयातित कोयले के मिश्रण की परामर्शिका दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 से वापस ले ली गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच औसत विद्युत खरीद लागत में 5 पैसे की कमी आई है।

(घ): भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) निष्पक्ष, तटस्थ, दक्ष और स्थिर विद्युत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने हेतु पावर एक्सचेंजों की स्थापना।

(ii) राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग में अनुकूलन लाना।

(iii) परिवहन लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से राज्य/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों (जेनको) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिंकेज स्रोतों का युक्तिकरण।

(iv) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की प्रतिस्पर्धी खरीद को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत खरीद हेतु टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी करना।

(v) आरडीएसएस के अंतर्गत समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी से यूटिलिटि की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे प्रणाली का बेहतर रखरखाव कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार विद्युत खरीद सकेंगे; जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

(vi) उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का प्रचालन।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1912

अनुबंध-I

देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का वर्षवार-ब्यौरा:

वर्ष (31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
2014-15	2,75,895
2015-16	3,06,330
2016-17	3,28,146
2017-18	3,45,631
2018-19	3,57,871
2019-20	3,71,334
2020-21	3,83,521
2021-22	3,99,497
2022-23	4,16,059
2023-24	4,41,970
2024-25	4,75,212
2025-26 (जून, 2025 तक)	4,84,819

****